सतत विकास शिखर बैठक में प्रधान मंत्री का उदघाटन भाषण

7 फरवरी, 2008
नई दिल्ली

आज यहां आए सभी शासनाध्यक्षों और विशिष्ट व्यक्तियों का स्वागत करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। इस वर्ष दिल्ली में असामान्य सर्दी पड़ी है। किन्तु मुझे उम्मीद है कि हमारे आथित्य की गर्मजोशी आपकी यात्रा को आरामदेह और यादगार बनाएगी।

मैं अपने मित्र डॉक्टर पचौरी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने स्थायी विकास के बारे में बड़ी आग्रहशीलता के साथ इस सम्मेलन का आयोजन किया है। दिल्ली सम्मेलन उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण वार्षिक कार्यक्रम है, जो जलवायु परिवर्तन की समस्याओं का वैश्विक रूप में स्वीकार्य और सामाजिक दृष्टि से समग्र समाधान करना चाहते हैं। स्थायी विकास का मार्ग प्रशस्त करने में भी इस सम्मेलन की महत्वपूर्ण भूमिका है।

मेरा मानना है कि टीईआरआई जैसे संस्थानों के अच्छे कार्यों से आप जैसे संगठनों और डॉक्टर पचौरी जैसे व्यक्तियों ने जलवायु परिवर्तन के बारे में अनिवार्य 'बदलाव का माहौल' तैयार कर दिया है। विश्वभर में समुदाय अपनी सरकारों को चुनौती दे रहे हैं कि इस दिशा में तत्काल और सही ढंग से कुछ किया जाना चाहिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि भारत इस प्रयास में अग्रणी भूमिका निभाएगा।

टीईआरआई द्वारा शुरू किया गया प्रयास उस वैचारिक नेतृत्व का ज्वलंत उदाहरण है, जिसकी बदौलत मानव कष्ट दूर करने के मानवीय संघर्ष में विश्वभर के विचारों और लोगों को एकजुट होने की प्रेरणा मिली है। पर्यावरण संकट, जो जलवायु परिवर्तन के रूप में सामने आ रहा है, हमें यह अहसास करा रहा है कि हमारा संकट साझा है। यह एक सामूहिक मानवीय संकट है, और यदि इससे रचनात्मक ढंग से निपटने के प्रयास किए गए तो प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने में मानव एकजुटता बढ़ाने के सामूहिक अवसर पैदा किए जा सकते हैं।

मैं अक्सर यह कहता रहा हूं कि इस तरह की वैश्विक समस्याओं के प्रति भारत का नजरिया ''वसुधैव कुटुम्बकम'' की संस्कृत सूक्ति में व्यक्त होता है, जिसका अर्थ है कि पूरा विश्व एक परिवार है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र के नाम अपने पहले संदेश में कहा था कि ''शांति को अविभाज्य कहा गया है, इसी तरह स्वतंत्रता, और अब खुशहाली भी अविभाज्य है, और इसी प्रकार अखंड विश्व में आपदा भी अविभाज्य है, जिसे अलग-अलग करके नहीं देखा जा सकता।'' यह वक्तव्य 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था।

इस तरह हम अपने दायित्व को गंभीरतापूर्वक लेते हैं। हमारी जलवायु परिवर्तन परिषद अब जलवायु परिवर्तन के बारे में एक राष्ट्रीय कार्ययोजना पर काम कर रही है। अब जबकि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए वैश्विक नीति तैयार कर रहे हैं तो इसके समानांतर हमें स्थानीय, प्रान्तीय और राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करना होगा, ताकि जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना किया जा सके। जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव लोगों पर अलग-अलग पड़ रहा है और गरीबों पर इसकी मार सबसे अधिक पड़ रही है। उनके पास इस समस्या से निपटने के लिए संसाधनों का अभाव है। इस तरह जलवायु परिवर्तन की

दिशा में की गई कार्रवाई विश्व के सभी लोगों की गरीबी कम करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों का रूप ले सकती है।

हमें उद्योग और अन्य क्षेत्रों में ऊर्जा का इस्तेमाल कम करने के लिए नई प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। हमें वन रोपण, सूखे की आशंका कम करने और बाढ़ से बचाव के लिए व्यापक उपाय करने होंगे। देश के तटवर्ती क्षेत्रों के संरक्षण के लिए भी कार्य योजना तैयार करनी होगी। नदियों के लिए जल की आपूर्ति करने वाले हिमनदों की रक्षा के उपाय भी जरूरी हैं। विकास के समूचे तामझाम की नए सिरे से योजना बनाने और उसके लिए धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। इस वर्ष शुरू की गयी हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना में भारत के लिए इनमें से कई क्षेत्रों के बारे में महत्वपूर्ण नीतियां तैयार की गयी हैं।

जलवायु परिवर्तन के बारे में भारत की राष्ट्रीय कार्ययोजना इस वर्ष जून में जारी की जाएगी। इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र सार्वजनिक परिवहन है, जिसपर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। हमने योजना आयोग से कहा है कि वह इस बारे में व्यापक नीति तैयार करे।

जलवायु परिवर्तन के बारे में सहयोग के लिए हमें विभिन्न देशों के साथ ज्ञान में भागीदारी कायम करनी होगी। भारत ने उन सभी शैक्षिक संस्थानों को आपस में जोड़ने का फैसला किया है, जो राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क के आधार पर जलवायु परिवर्तन के बारे में काम कर रहे हैं। हमने महत्वपूर्ण ज्ञान संस्थानों की पहचान भी की है, जो जलवायु परिवर्तन संबंधी अनुसंधान में उत्कृष्टता केन्द्र बन चुके हैं। हम हरित प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करने के लिए उद्यम पूंजी कोष बनाने पर भी विचार कर रहे हैं।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करेंगे, ताकि जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में वैश्विक उपायों को मजबूती प्रदान की जा सके। हिलिजेंडम में पिछले जी-8 सम्मेलन में मैंने भारत की ओर से कार्बन उत्सर्जन के बारे में एक वायदा किया था। भारत यह वचन देने को तैयार है कि हमारा प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन कभी भी औद्योगिक देशों के प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन से अधिक नहीं होगा। इतना ही नहीं, जैसे-जैसे विकसित देश प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन कम करने के उपाय करेंगे, उसी हिसाब से कार्बन उत्सर्जन की हमारी सीमा भी कम होती जाएगी। यह हमारा नेक संकल्प है।

मुझे विश्वास है कि इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागी भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करेंगें, क्योंकि आप सभी गरीबी उन्मूलन और आय और सम्पत्ति में वैश्विक अंतराल कम करने के प्रति चिंतित हैं। हम विकास के ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मॉडल को जारी नहीं रख सकते, जिसमें कुछ देशों का कार्बन उत्सर्जन अधिक बना रहे, जबकि विकासशील देशों के विकास के विकल्प प्रतिबंधित कर दिए जाएं।

इसलिए हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हम अपने सभी लोगों के लिए स्वीकार्य जीवन स्तर कायम करें, लेकिन उस विकास के लिए स्थायी मार्ग चुनें। इस तरह मानव एकता के हित में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रयासों में जलवायु न्याय का अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए। इससे एक नए वैश्विक समझौते का मार्ग प्रशस्त होगा। इस तरह का समझौता एक स्थापित सिद्धांत पर आधारित होगा, जिसका उल्लेख जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में किया गया है। हाल में बाली में हुए सम्मेलन में भी इसे दोहराया गया था।

''जलवायु न्याय'' से हमारा अभिप्राय है प्रौद्योगिकी हस्तातंरण की निष्पक्ष, समतामूलक और पारदर्शी वैश्विक व्यवस्था। इस तरह का हस्तांतरण विकसित और विकासशील दोनों ही राष्ट्रों में रहने वाले लोगों के हित में होगा। विकासशील देशों में पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी बेहद जरूरी है। ऊर्जा, परिवहन, विनिर्माण और कृषि जैसे क्षेत्रों में तो यह प्रौद्योगिकी और भी आवश्यक है। दुनिया के देशों को अगले दो वर्षों में एक नए सहयोग पर आम सहमति विकसित करनी होगी, ताकि जरूरतमंद देशों को धन और प्रौद्योगिकी के रूप में सहायता की जा सके।

कलाइमेट चेंज पैनल के लिए नोबेल पुरस्कार दिए जाने पर डॉक्टर आर के पचौरी को सम्मानित करते समय मैंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि टीईआरआई हमारे देश के लोगों के समक्ष ऊर्जा सुरक्षा का ग्लोबल विजन प्रस्तुत करे। यह सवाल विचारणीय है कि ऊर्जा सुरक्षा की चुनौती का सामना करने के लिए हमें क्या अवश्य करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। प्रौद्योगिकी के उपलब्ध विकल्प कौन से हैं और सरकारी नीति के कौन से विकल्प उपलब्ध हैं, जिन्हें अपनाकर सरकारें उन चुनौतियों का सामना कर सकती हैं, जो स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा लोगों को उपलब्ध कराने में सामने आती हैं।

मुझे उम्मीद है कि इस तरह के सम्मेलनों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्वजनिक बहस को बढ़ावा मिलेगा। मैं चाहता हॅू कि ऐसे सम्मेलनों में हमारे युवा, विशेषकर राजनीतिक पार्टियों के युवा नेता अधिक से अधिक हिस्सा ले। मैं यह भी चाहता हॅू कि युवा पीढ़ी इन मुद्दों पर अधिक से अधिक विचार व्यक्त करे। आखिरकार कल उन्हीं का है। अगर आज का युवा भविष्य की चिंता नहीं करेगा तो कौन करेगा ? मैं आपको भरोसा दिलाता हॅू कि भारत सरकार इस मुद्दे के प्रति गंभीर है और भारत इसके प्रति कई जिम्मेदारीपूर्ण और प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनायेगा ताकि स्थायी विकास को बढ़ावा दिया जा सके। मुझे आपके सम्मेलन के निष्कर्षों का इंतजार रहेगा। मैं सम्मेलन की सफलता की कामना करता हॅू।

******